प्रकरण संख्या 14/2019 2019/00121 ता0रजू 16.05.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

हीरालाल पुत्र रामकुमार आयु 54 साल जाति मीना निवासी औडच तहसील सपोटरा जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 24.04.2019 जिला रसद अधिकारी करौली प्रकरण संख्या 228/19 उनवानी सरकार बनाम हीरालाल

निर्णय

दिनांक–11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 23.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। दौराने निरीक्षण 3.03 क्विं. गेंहूं व 50 लीटर केरासीन कम पाया जाना, 58.700 किलोग्राम चीनी अधिक पाया जाना, राशन डीलर द्वारा पोस मशीन पर दो बार अंगूठा लगवाया जाकर एक बार का गेंहूं दिया जाना, राशन कार्ड में वितरित की गई सामग्री का इन्द्राज नहीं करना, 21 राशन कार्डों की जांच करने पर दो माह का गेंहूं एक साथ ऑनलाइन वितरित किया जाना लेकिन उपभोक्ताओं को दो माह का गेंहूं नहीं देना, राशन सामग्री का अस्वीकृत गोदाम में भण्डारण करना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत् ने निर्णय दिनांक 24.04.2019 कानून के विपरीत दिया है। उक्त पत्रावली का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया है। प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय दिया गया है जबकि निर्णय के अंदर जो एक लगायत 6 बिन्दुओं का अपीलाण्ट द्वारा उल्लंघन करना बतलाया है, वह बिल्कुल गलत है। ये सारे बिन्दु बिल्कुल गलत व तथ्यहीन है। अपीलाण्ट ने राशन सामग्री जो सरकार द्वारा दी गयी थी, वह घर के गोदाम के अन्दर नहीं रखी। वह प्रमाणित दुकान के नक्शा जो मंजूर थी उसी के अंदर रखे थे तथा राशन गेहूँ का रजिस्टर में पूर्ण इन्द्राज किया है तथा जिन उपभोक्ताओं ने दो बार राशन सामग्री ली है, उनके दो बार पोश मशीन में अंगूठा लगवाया है। जिसने एक बार ली है, उसका एक बार अंगूठा लगवाया है तथा पोश मशीन से वितरण की पर्ची भी उपभोक्ता को बदस्तूर दी है तथा अपीलाण्ट ने राशन सामग्री गेहूँ का महिने के महिने वितरण किया है। किसी प्रकार का गोदाम के अन्दर (दुकान के अन्दर) कोई गेहूँ कम सही पाया गया, ना ही कोई चीनी पायी गयी है ना ही कोई केरोसीन का दुरूपयोग किया है सारा स्टॉक बिल्कुल सही व दुरुस्त था लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने मनमाने ढंग से बिना सामग्री तौले बिना केरोसीन नापे इन्द्राज से सारे तथ्य लिखकर व राजनैतिक लोगो के दबाव में आकर द्वेषतापूर्ण रवैया अपनाते हुये राशन सामग्री का दुरूपयोग व स्टॉक में कमी बताकर रिपोर्ट की है जो कानून के विपरीत है। अपीलाण्ट ने राशन सामग्री का नियमानुसार वितरण किया है और किसी प्रकार का दुरूपयोग नहीं किया है, ना ही ब्लैकमेल किया है ना ही खाद्य एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण विनियमन 1976 का कोई उल्लंघन किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 23.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। दौराने जांच अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा स्वीकृत राशन वितरण गोदाम पर 242 कट्टे

जिला कलक्टर करौली

गेंहूं एवं घर के अस्वीकृत गोदाम पर 185 क्विं. गेंहूं, कुल 427 कट्टे गेंहूं (50 किलो प्रत्येक) कुल 213.5 क्विं. गेंहूं पाया गया। इसी प्रकार केरासीन 00(शून्य) लीटर एवं 1 क्विं. चीनी पायी गई। कार्यालय रिकॉर्ड व ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करने पर पाया कि दिनांक 01.09.2016 से को प्रारंभिक स्टॉक 5.20 क्विं. गेंहूं एवं दिनांक 01.09.2016 से फरवरी 2019 तक की आमद 3728.22 क्विं. गेंहूं सहित 3733.42 क्विं. गेंहूं में से 3516.39 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत 216.53 क्विं. गेंहूं होना चाहिये था। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 को प्रारंभिक स्टॉक 4.08 क्विं. चीनी एवं दिनांक 01.01.2018 से वक्त जांच तक आमद 3 क्विं. चीनी सहित कुल 7.08 क्विं. चीनी में से 6.595 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 41.300 किलोग्राम चीनी होनी चाहिये थी। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 को प्रारंभिक स्टॉक 00(शून्य) लीटर केरासीन सहित वक्त जांच तक आमद 18900 लीटर केरोसीन कुल 18900 लीटर केरोसीन में से 18850 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 50 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 3.03 क्विं. गेंहूं व 50 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है तथा 58.700 किलोग्राम चीनी अधिक पायी गई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त चीनी का वितरण ऑनलाइन दर्शाया जाकर उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया गया है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी राशन डीलर पोस मशीन पर अंगूठा नहीं आने का बहाना करके दोबारा अंगूठा लगवा लेता है और एक बार का ही गेंहूं देता है। दो बार का गेंहूं कभी भी नहीं दिया गया है। राशनकार्डों में वितरण का इन्दाज नहीं करता है। 21 राशन कार्डों के ऑनलाइन वितरण की जांच करने पर पाया कि अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 18.95 क्विं. गेंहूं एक से अधिक माहों का एक साथ दिया गया है परंतु उपभोक्ताओं को कभी भी एक साथ दो माह का गेंहूं नहीं दिया गया है। राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री का पूर्ण होना, राशन सामग्री का गैर अनुमोदित राशन गोदाम में न रखकर अनुमोदित गोदाम में रखा होना के आरोप निराधार हैं। मौके पर बनाये गये पर्चा मौका पर अपीलार्थी राशन डीलर के हस्ताक्षर हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर द्वार एक से अधिक माह के गेंहूं का ऑनलाइन वितरण दर्शाया जाकर उपभोक्ताओं को एक से अधिक माह का गेंहूं नहीं देना, राशन कार्ड में वितरण का इन्द्राज नहीं करना पाया गया और ना ही पोस मशीन की पर्ची(बिल) उपभोक्ताओं को दी गई हैं। अपीलार्थी की दुकान में स्थित स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने व कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड तथा ऑनलाइन वितरण की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करने पर पाया कि वक्त जांच अपीलार्थी की राशन दुकान पर 216.53 क्विं. गेंहूं, 50 लीटर केरोसीन व 41.300 किलोग्राम चीनी होनी चाहिये थी जिसकी अपेक्षा 213.5 क्विं. गेंहूं, 00(शून्य) लीटर केरोसीन व 1 क्विं. चीनी पायी गई। इस प्रकार 3.03 क्विं. गेंहूं व 50 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है तथा 58.700 किलोग्राम चीनी अधिक पाई गई जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा उक्त चीनी का ऑनलाइन वितरण दर्शाया जाकर उपभोक्ताओं को नहीं दी गई है। ये गंभीर अनियमितताएं हैं। अपीलाण्ट द्वारा स्टॉक हैण्डओवर करने की जो रसीद प्रस्तुत की गई है, उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 24.04.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर,
करौली